ग्राम पंचायत रोपड़ी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रोपड़ी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री युद्ववीर सिंह	01.04.13 से 22.1.16
2	श्रीमती मधु	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जगदीश चन्द ठाकुर	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत रोपड़ी के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.33
2	9	अनुदान राशि का उपयोग न करना	6.82
3	10	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना	0.03

4	11	अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	1.36
5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.91
6	14	मजदूरी के रूप में अधिक राशि देना	0.07

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत रोपड़ी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01.10.2016 से 05.10.2016 एवं 13.10.2016 से 14.10.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2013—14	08/2013	11/2013
2014—15	12/2014	04/2014
2015—16	03/2015	05/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत रोपड़ी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 152/2016 दिनांक 14.10.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रोपड़ी से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत रोपड़ी, विकास चौंतड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)			व्यय (₹)		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	243312.08	56948	407581	707841.08	13095	219569	475177.08
2014–15	475177.08	39942	256925	772044.08	28507	267988	475549.08
2015–16	475549.08	34021	399138	908708.08	18995	113246	776467.08

(i) दिनांक 31.3.2016 को बचत खाता संख्या 31510100008 (हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल) अनुसार शेष राशि — ₹776456.08

(ii) हस्तगत राशि (31.3.2016) — ₹11.00

(परिशिष्ट–1)

(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	326277	1499507	1825784	1788374	37410
2014–15	37410	339892	377302	377285	17
2015–16	17	468433	468450	468433	17

दिनांक 31.03.2016 को बचत खाता संख्या 2457000100004562 (पंजाब नैशनल बैंक) अनुसार शेष राशि — शून्य

(परिशिष्ट–2) नोटः– ₹17 का अन्तर बैंक चार्जिस ₹17 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करने के कारण है — शून्य

(ग) विभिन्न अनुदानः–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	194882.50	765737	960619.50	713348	247271.50
2014–15	247271.50	556648	803919.50	466997	336922.50
2015–16	336922.50	347276	684198.50	333563	350635.50

दिनांक 31.03.2016 को शेष

(i) रोकड़ बही अनुसार — ₹350635.50

(ii) बैंक पास बुक अनुसार (खाता संख्या 2457000100004553 पंजाब नैशनल बैंक, मतेहड़) — ₹457366.50

अन्तर — 106731

नोटः— इस खाते में पाये गये अन्तर का सम्पूर्ण विवरण/बैंक समाधान विवरणी **"परिशिष्ट–3"** में दी गई है।

5 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करने के सन्दर्भ मेंः—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि इनका रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में पंचायत के अथशेष एवं अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है जिनके अभाव में पंचायत की सही एवं ठीक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा न तो रोकड़ बहियों में सम्पूर्ण प्रविष्टियों को दर्ज किया गया है एवं न ही माह/वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरणी तैयार की गई है। जिसके कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः—

ग्राम पंचायत रोपड़ी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान माह/वर्ष वार करना भविष्य में सुनिश्चित किया जाए।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की ₹0.33 लाख वसूली हेतु शेषः—

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख एवं पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचना के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.33 लाख की वसूली शेष थीः—

गृहकरः—

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2013—14	18400	18400	36800	36800	0
2014—15	0	21150	21150	9050	12100
2015—16	12100	21500	33600	200	33400

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान ₹6.82 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट—4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹682371.50 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 प्राप्त अनुदान राशि से ₹0.03 लाख का अधिक व्यय करनाः—

ग्राम पंचायत रोपड़ी द्वारा अनुदान राशियों से उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट—4"** की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 तक प्राप्त अनुदान राशि से ₹3400 का अधिक व्यय पंचायत द्वारा चौकीदार को वेतन के रूप में किया गया था। नियमानुसार व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान से अधिक

व्यय की गई राशि बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इस अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था से शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 अनुदान ₹1.36 लाख की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत रोपड़ी की विविध अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं बचत खाते की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत द्वारा ₹136258 की अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	दिनांक	राशि (₹)	टिप्पणी
1	19.09.14	5971	यह राशि पंचायत के बचत खाता संख्या 2457000100004553 में जमा हुई है, किन्तु इन्हें रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है
2	18.10.14	8100	
3	17.03.16	73187	
4	17.03.16	49000	
	योग	**136258**	

पंचायत द्वारा अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करने के कारण पंचायत की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है, जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इन समस्त राशियों को यथाशीघ्र रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों में किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाए ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

G.P.Kuddi

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹1.91 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹191390 के स्टॉक/स्टोर का क्रय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "5 (क) से 5 (घ)"** में दिया गया है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोंर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 मजदूरी के रूप में ₹0.07 लाख का अधिक भुगतानः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा "निर्माण कार्य महिला मण्डल भवन, डुगहली" (सामान्य रोकड़ बही) में मजदूरी के रूप में ₹19305 का भुगतान निम्नविवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	**वर्ष**	**रोकड़ बही**	**मस्ट्रोल क्रमांक**	**अवधि**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	2013–14	सामान्य (विविध अनुदान)	17825	10/2013	8652	उक्त व्यय खाता बही के पृष्ठ संख्या 100 से लिया गया है
2	2013–14	–यथोपरि–	17828	11/2013	7953	
3	2013–14	–यथोपरि–	17832	12/2013	2700	
				योग	**19305**	

(i) उक्त मस्ट्रोलों से किये गये कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका 5175, पृष्ठ 18 से 19 की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त मजदूरों के विरूद्ध कार्य प्रगति ₹13206 दर्शायी गई है एवं नियमानुसार मजदूरों को इस वास्तविक कार्य हेतु इससे अधिक मजदूरी देय नहीं थी। अतः कार्य की मात्रा प्रगति (Progress of work done) से अधिक भुगतान की गई ₹6099 की मजदूरी बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) जाँच में पाया गया कि उक्त तीनों मस्ट्रोलों के विरूद्ध कार्य प्रगति माप पुस्तिका में इकटठी दर्शायी गई है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक मस्ट्रोल के विरूद्ध कार्य प्रगति अलग से दर्शायी जानी अपेक्षित थी। अतः इस चूक बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा "निर्माण कार्य–ड्रैन चैनल बैरी दुकरू से सपैडू" हेतु मजदूरों को वाउचर संख्या 71 एवं 72 दिनांक 25.11.2013 द्वारा ₹22770 का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 3302 एवं 3303 अवधि 01.11.2013 से 15.11.2013 के एवज में किया गया है।

उक्त कार्य की मात्रा प्रगति माप पुस्तिका 5876 पृष्ठ 14 से 16 अनुसार ₹22333 ही दर्शाई गई है एवं नियमानुसार मजदूरों को इससे अधिक मजदूरी देय नहीं थी। अतः कार्य की मात्रा प्रगति से अधिक भुगतान की गई ₹444 की मजदूरी बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 मजदूरी के रूप में किए गए ₹0.68 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ₹67661 का भुगतान मजदूरी के रूप में निम्नविवरणानुसार किया गया है:–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0क्रमांक	दिनांक	कार्य का विवरण	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)
1	सामान्य	शून्य	शून्य	निर्माण पशु चिकित्सालय घमोरू	17830	12/2013	5837
2	मनरेगा	1	26.4.14	निर्माण RWH यशपाल	192	1.4.14 से 15.4.14	2772
3	मनरेगा	25	25.11.15	निर्माण रास्ता कसेहड़ से सिहारल	3018	1.11.15 से 15.11.15	31104
4	मनरेगा	29	10.12.15	–यथोपरि–	3266	16.11.15 से 30.11.15	4212
5	मनरेगा	59	12.11.13	निर्माण ड्रैन चैनल बैरी टुकरू से सपैडू	3044	17.10.13 से 30.10.13	12006

6	मनरेगा	60	12.11.13	–यथोपरि–	3045	17.10.13 से 30.10.13	11730
						योग	**₹67661**

पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित मस्ट्रोलों के माध्यम से किये गये मजदूरी के भुगतानों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में मजदूरी द्वारा उक्त अवधि में किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में इस कार्य हेतु उतनी मजदूरी देय थी अथवा नही? की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः मजदूरों को किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 13/2017—खण्ड—1— 2522—2525 दिनाँकः 09.05.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत रोपड़ी विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

G.P.Kuddi